भारत, विचार शक्ति में पिछड़ता हुआ

समाज के संतुलित संचालन में विचारों का सर्वाधिक महत्व होता है। पिछले कुछ हजार वर्षो से भारत में विचारकों का भी अभाव हुआ तथा विचारों का भी। योग्यतानुसार वर्ण व्यवस्था बदलकर जन्म के आधार पर हो गई, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि भारत में विचारों और विचारकों का अभाव हुआ। प्राचीन समय में भारत दुनियां में विचारों का निर्यात करता था, किन्तु धीरे–धीरे भारत विचारों का आयात करने के लिए मजबूर हो गया। यहॉ तक कि भारत कई सौ वर्षो तक पूरी तरह गुलाम भी रहा। स्वतंत्रता के बाद भी भारत पश्चिम के लोकतंत्र तथा पूर्व के साम्यवाद की वैचारिक गुलामी से मुक्त नहीं हो सका। विचारों के अभाव में हमारे संविधान निर्माताओं को भी संविधान बनाने में इन देशों की अक्षरशः नकल करनी पड़ी। 70 वर्षो के बाद भी भारत ऐसी गुलामी से उबर नहीं पाया है। आज भी विदेशी शक्तियॉ भारत को अपनी प्राथमिकताएँ तय करने का अप्रत्यक्ष निर्देश देती है, तथा भारत उन निर्देशों को उचित मानकर उनका पालन करता है। भले ही वे निर्देश वास्तविकता के विपरीत ही क्यों न हो तथा समस्याएँ पैदा करने वाले ही क्यों न हों।

साम्यवादी देशों में भारत को वर्ग सशक्तिकरण का नारा दिया और भारत ने उस नारे को अक्षरशः स्वीकार कर दिया। आज भी भारतीय जनमानस वर्ग सशक्तिकरण को एक समाधान के रुप में देखता है। जबकि वर्ग सशक्तिकरण भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। इसी तरह पश्चिम के देश भारत को पर्यावरण, मानवाधिकार, एन. जी.ओ., महिला सशक्तिकरण जैसे शब्दों में इस तरह उलझाकर रखते हैं कि भारत का औसत जनमानस भी इन शब्दों को एक समाधान के रुप में देखता है। इस सीमा तक देखता है कि भारत में भले ही अपराध, भ्रष्टाचार ,चरित्रपतन, साम्प्रदायिकता, जातीय कटुता, मिलावट, आर्थिक असमानता, श्रमशोषण, हिंसा और टकराव जैसी समस्याएँ क्यों न बढती रहे किन्तु पर्यावरण महिला उत्पीडन मानवाधिकार जैसे भारी भरकम शब्द बीच में आते ही उन महत्वपूर्ण समस्याओं की अन्देखी मजबूरी बन जाती है।

छ0ग0 के मानपुर गॉव के सल्फी बांध का निर्माण 35 वर्ष पूर्व 1980 में शुरु हुआ था। तीन चौथाई काम पूरा हो चुका था। वन विभाग के किसी छोटे कर्मचारी ने ये रिपोर्ट दी कि बांध में तेरह लाख के पौधे डूब सकते हैं। वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने यह नहीं समझा कि ये लाख नामक वनस्पति के पेड़ हैं तथा संख्या में कुल तेरह हैं, बल्कि उन्होंने तेरह लाख पेड़ मानकर बांध पर रोक लगा दी क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान संभावित था। गॉव वालों के अनेक आन्दोलन होने के बाद भी पर्यावरण विभाग की सहमति नहीं बनी और बांध आज तक नहीं बन सका। क्योंकि किसी अफसर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पर्यावरण के संबंध में यथार्थ स्पष्ट कर सके। अब 35 वर्षो के बाद उस भूल का एहसास हुआ है कि ये पेड़ तेरह लाख न होकर मात्र लाख के तेरह पेड़ हैं।

इसी तरह महिला सशक्तिकरण के नाम पर भी समस्याएँ बढती जा रही हैं। अभी एक माह पूर्व किसी समूह ने एक बालिग लड़की की आत्महत्या को मुद्दा बनाकर कुछ लोगों को रामानुजगंज में झूठा परेशान किया। राजनीति इस सीमा तक बढी की उसके लिए कई दिनों तक आन्दोलन भी हुए। पीडित पक्ष ने अपनी सफाई देने की अपेक्षा उसी तरह का असत्य मार्ग अपनाना उचित समझा और आन्दोलनकारियों के मुखियॉ के खिलाफ एक आदिवासी महिला से रिपोर्ट कराकर उस नेता को भरपूर पीटा भी और जुर्म भी कायम हो गया। दोनों घटनाओं की सच्चाई तो 10–20 वर्ष बाद न्यायालय से स्पष्ट हो पायेगी। किन्तु अब तक की अपुष्ट जानकारी के अनुसार मैंने दोनों घटनाओं का विवरण दिया है जो मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं। मैं देख रहा हूॅ कि वर्तमान केन्द्रिय सरकार भी पर्यावरण महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों से निपटने में अपने को असमर्थ पाकर या तो चुप है या नासमझी में इन मार्गों पर ही आगे बढ रही है।

सारे देश में एन.जी.ओ. का जाल फैला हुआ है। ये एन.जी.ओ. वाले मानवाधिकार के नाम पर पश्चिम की भी भरपूर वकालत करते है तो ये नक्सलवादियों तक के पक्ष में खड़े हो जाते है। बस्तर में नक्सलवाद का खातमा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वहॉ ऐसे मानवाधिकारवादियों की मजबूत दुकानदारी कायम है। हमारे रामानुजगंज जिले से नक्सलवाद का इसलिए सफाया हो पाया क्योंकि वहॉ ऐसे दुकानदारों की घुसपैठ नहीं थी। मैं स्पष्ट देख रहा हूॅ कि नक्सलवादी किसी बेगुनाह की हत्या कर देते है तो दिल्ली की जे.एन.यू. तक में खुशी मनाई जाती है किन्तु यदि हमारी सेना या पुलिस किसी वास्तविक नक्सलवादी को पकडकर बिना न्यायालय में दिये मार दे

तो ये पेशेवर मानवाधिकारवादी ऐसे नक्सलवादियों के पक्ष में बड़े–बड़े आंसू बहाना शुरु कर देते है जैसे ये नक्सलवादी इनके परिवार के कोई सदस्य हों। न्यायालय भी ऐसे मानवाधिकारवादियों के पक्ष में सब काम छोडकर खड़े होने की पहल करते दिखता है। न्यायपालिका भी स्वयं को अपराध नियंत्रण में सहयोगी न मानकर पश्चिम की आयातित परिभाषा के अनुसार राज्य और व्यक्ति के बीच तटस्थ मानती है। परिणाम होता है कि न्यायपालिका पुलिस द्वारा प्रस्तुत अपराधी को निर्दोष मानकर स्वयं अपराधी और पुलिस के बीच न्याय करने लग जाती है। जबकि पुलिस द्वारा अपराध सिद्ध व्यक्ति न्यायालय में संदिग्ध माना जाना चाहिए। ये एन.जी.ओ. वाले मानवाधिकार के नाम पर लगातार न्यायालय पर भी मानसिक दबाव बनाकर रखते हैं। जिसका परिणाम होता है कि अपराध पीडित व्यक्ति को न्याय मिलना कठिन हो जाता है तथा अनेक अपराधी गंभीर अपराध करने के बाद भी न्यायलय से निर्दोष या जमानत पर छूटकर फिर से नये अपराध करने में सलंग्न हो जाते है।

ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते है जो साम्यवाद, इस्लाम तथा पश्चिम के देशों से आयातित विचारों को बिना विचारे कार्य रुप में परिणीत करने के दुष्परिणाम स्वरुप दिखाई दे रहे है। ऐसे–ऐसे पेशेवर परजीवीवादियों से समाज को मुक्त कराना ही होगा। समस्या जटिल है समाधान कठिन है किन्तु करना भी होगा। मुक्ति के प्रयास भी चलते रहेंगे तथा समस्याओं के समाधान के प्रयत्न भी चलते रहेंगे किन्तु साथ–साथ हमें भारत की चिंतन शक्ति को भी जाग्रत करना होगा। हम कब तक विचारों का आयात करते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि भारत की माताएँ अब ऐसी बांझ हो गई हैं कि उन्होंने विचारक पैदा करने बंद कर दिये है बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सामाजिक राजनैतिक व्यवस्था में कुछ ऐसी कमजोरी है जो धीरे–धीरे विचारों को आगे महत्वपूर्ण नहीं होने देती। मैं चाहता हूँ कि हम सब इस समस्या को महसूस करें तथा अन्य सब कार्य करते हुये इस दिशा में आगे बढ़ने की पहल करें।

इस्लाम कितनी समस्या और क्या समाधान

मेरे विचार में पॉच बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं– 1. इस्लाम एक संगठन है तथा हिन्दुत्व धर्म । 2. इस्लाम क्षत्रिय प्रवृत्ति प्रधान होता है जबकि हिन्दुत्व ब्राम्हण प्रवृत्ति प्रधान। 3. किसी क्षेत्र के दो प्रतिशत से अधिक लोग यदि किसी कार्य के लिये संगठित हो जाये तो उन्हे बलपूर्वक दबाना संभव नहीं होता। 4. भारतीय वातावरण में मजबूत से दबना तथा कमजोर को दबाना एक सांस्कृतिक पहचान बन चुकी हैं। 5. स्वतंत्रता के बाद धर्म निरपेक्षता के नाम पर लगातार हिन्दुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया तथा इस्लाम को लगातार प्रोत्साहित किया गया।

उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर हमें इस्लाम की पहचान करनी होगी। यह सत्य है कि भारत में कुल मुस्लिम जनसंख्या दो प्रतिशत से कई गुनी अधिक है तथा लगभग संगठित भी हैं। ऐसी परिस्थिति में नई सरकार आने के बाद भी मुसलमानों से बदला लेने की प्रवृत्ति न तो उचित है, न ही न्याय संगत। क्योंकि सभी मुसलमान अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है तथा उनकी जनसंख्या दो प्रतिशत से इतनी ज्यादा है कि उन्हें बलपूर्वक दबाना संभव नहीं है। परिस्थिति अनुसार समस्याओं के समाधान के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद अर्थात चारों का सहारा लिया जाता है। किसी एक की आवश्यकता तो आपातकाल में ही होती है। सामान्यतः सौभाग्य से भारत में सामान्य परिस्थितियॉ हैं तथा नई सरकार आने के बाद तो निश्चित रुप से हैं ही।

सलमान खान ने एक टिप्पणी की जिसे तिल का ताड़ सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि वह मुसलमान था। ओबैसी ने हैदराबाद के कुछ आतंकियों को कानूनी सहायता की बात कही। मैं नहीं समझता कि इस इस बात को इतना अधिक चर्चित करना क्यों आवश्यक था? मैं जानता हूँ कि ओबैसी की बात को बतंगड बनाने वाले अधिकांश लोगों ने प्रज्ञा पुरोहित के मामले में बिल्कुल यही आचरण किया था जो ओबैसी ने कहा है। किसी संदिग्ध अपराधी को सहायता करना अनैतिक कार्य है किन्तु उसका वकील, परिवार का सदस्य, मित्र अथवा संगठन से जुडा व्यक्ति सहानुभूति रख सकता है। ओबैसी ने तो अपने को कानूनी सहायता तक सीमित रखा था । इसी तरह भारतमाता की जय जैसे मुद्दे को भी अनावश्यक इतनी तुल दी गई। मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी सोची समझी रणनीति के अन्तर्गत संघ परिवार हिन्दू और मुसलमान के बीच साफ–साफ ध्रुर्वीकरण कराने के लिए ओबैसी का उपयोग कर रहा है तथा प्रयत्नशील है कि ओबैसी मुसलमानों का एक छत्र नेता बन जावे।

इसी तरह नागरिक संहिता के साथ भी साम्प्रदायिक खिलवाड़ किया जा रहा है। नागरिक संहिता का अर्थ आचार संहिता से बिल्कुल विपरीत होता है। आचार संहिता व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है तथा उसमें कोई नागरिक

संहिता तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसकी स्वतंत्रता में बाधा न पहुँचायी जाये। यदि कोई पुरुष या महिला आपसी सहमति से एक से अधिक विवाह करना चाहते है अथवा किसी के साथ अपना वैवाहिक संबंध तोड़ना चाहते है तो उसे कोई कानून किसी भी स्थिति में नहीं रोक सकता । यदि कोई पुरुष किसी महिला को एक ही बार में तलाक दे दें, और उसे अपने साथ न रखे तो कोई कानून उसे बाध्य नहीं कर सकता। कानून सिर्फ यही कर सकता है कि किसी महिला को भी एक ही बार में तलाक देने का अधिकार प्राप्त है। कौन किसके साथ रहना चाहता है और कब हटना चाहता है यह उसका आंतरिक मामला है। मुझे तो आचार्य धर्मेन्द्र की बात बहुत पसंद आयी जिसके अनुसार वे विवाह तलाक जैसे मुद्दों को कानून से बाहर रखने की बात कह रहे थे अर्थात ऐसा व्यक्तिगत कानून न हिन्दुओं के लिए लागू हो, न मुसलमानों के लिए, और न ही किसी अन्य के लिए । इसी तरह अन्य कानून भी तब तक सरकार के हस्तक्षेप से बाहर रहने चाहिए जब तक वे आपसी सहमति से तथा किसी अन्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव न डालते हों। समान नागरिक संहिता के विषय में कुछ साम्प्रदायिक हिन्दुओं ने यह भ्रम फैलाया है कि इसका मतलब हिन्दुओं के अनुसार ही मुसलमानों को भी विवाह तलाक या अन्य रीतिरिवाज मानने के लिए बाध्य करना है। जबकि समान नागरिक संहिता का वास्तविक अर्थ मुसलमानों के ही समान हिन्दुओं को भी कानूनी जकडन से बाहर करना है अर्थात व्यक्तिगत मामले में आचरण की स्वतंत्रता देना है और सिर्फ संवैधानिक मामलों में समान व्यवहार का कानून बनाना है।

जिस तरह कुछ कट्टरपंथी मुसलमान मदरसों के द्वारा मुस्लिम बच्चों का ब्रेन बाश करके उन्हें साम्प्रदायिक बना देते है। हिन्दुओं की आबादी आर्थिक क्षमता तथा सोच में क्या कमी है कि हम उनमें से कुछ बच्चों का भी ब्रेन वाश करके उन्हें भारतीय मुसलमान नहीं बना पाते। कहीं न कहीं इसमें कोई भूल हैं।

साम्प्रदायिक मुसलमान और साम्प्रदायिक हिन्दू यदि आपस में टकराते है तो हमें उस बीच में नहीं पडना चाहिए। लेकिन यदि शांतिप्रिय मुसलमानों के साथ कोई साम्प्रदायिक हिन्दू दुर्व्यवहार करता है तो हमें मुसलमान का साथ देना चाहिए। ध्रुवीकरण हिन्दू और मुसलमान के बीच न होकर साम्प्रदायिक और शांतिप्रिय के बीच होना चाहिए। कोई भी गृहयुद्ध हिन्दुओं को ही ज्यादा नुकसान करेगा क्योकि हिन्दू एक धर्म है तथा इस्लाम एक संगठन। साथ ही यह बात भी विचारणीय है कि जब साम्प्रदायिक मुसलमान अपने आप गंभीर गलतियॉ करेंगे ही तो हम मामूली गलतियॉ को गंभीर सिद्ध करने की जल्दबाजी क्यों करें। जब हमारे समक्ष आजमखान तथा अकबरुद्दीन सरीखे लोग मौजूद है तो हम क्यों सलमान खान सरीखे लोगों को हाइ लाइट करें? अनावश्क मुद्दे उठाने से हमारी विश्वसनीयता संदिग्ध होती है तथा कही न कही हमारे अपने लोगों में फूट पड़ती है। जबकि हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि फूट विपक्ष में बढ़े हमारे अंदर नहीं। वर्तमान समय में नरेन्द्र मोदी बिल्कुल ठीक दिशा में बढ रहे है तथा कहीं न कहीं संघ परिवार दुविधा में पडा हुआ है। एक ओर तो उसके अंदर मुसलमानों से उसी तरह बदला लेने की भावना बढ़ रही है जिस तरह उन लोगों ने 67 वर्षो तक हिन्दुओं के साथ किया। दूसरी ओर संघ परिवार यह भी समझ रहा है कि यदि वर्तमान राजनैतिक स्थिति पानी का बुलबुला सिद्ध हुई तो वह स्थिति भी हाथ से जाती रहेगी जो वर्तमान में हैं। मैं तो यह चाहता हूँ कि संघ परिवार चाहे जिस दिशा में जाये मेरे सरीखे लोगों को साम्प्रदायिकता के मामले में ऑख बंद करके नरेन्द्र मोदी की दिशा में साथ देना चाहिए। हमें साम्प्रदायिकता के विरुद्ध शांतिप्रिय विचारों को लगातार मजबूत करने का प्रयत्न करना चाहिए।

1.श्री सुरेश कुमार चतुर्वेदी, नोएडा, उ0प्र0

प्रश्नः— भारत में न्यायपालिका और विधायिका के बीच लगातार टकराव बढ रहा है। आपने लिखा है कि भारतीय संविधान ही इन टकरावों की जड़ में है। भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान इतने द्विअर्थी हैं, इतने अस्पष्ट हैं, कि टकराव स्वाभाविक है। आप यह बताने की कृपा करें कि भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान कौन–कौन से हैं।

उत्तरः— मैंने लिखा था कि भारतीय संविधान दुनियां के लोकतांत्रिक देशों में से सबसे घटिया संविधान है। इसे तो संविधान कहना ही नासमझी का एक प्रमाण है। संविधान तो लोक और तंत्र के बीच एक पुल का काम करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही समाज को धोखा देने वाली है। प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग संविधान बनाकर अपने ऊपर लागू करते हैं। जबकि सच्चाई इससे ठीक विपरीत है। लोकतंत्र में संविधान बनाने में

लोक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा तंत्र संविधान के अनुसार आचरण करता है। भारतीय संविधान बनाने में तंत्र की ही एक मात्र भूमिका रही है तथा लोक उक्त संविधान के अनुसार आचरण करने को बाध्य है।

तंत्र के तीन भाग होते हैं– कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका। तीनों मिलकर संविधान बनाते हैं तथा तीनों मिलकर संविधान के अनुसार लोक को आचरण करने के लिए मजबूर करते हैं । आपने जानना चाहा है कि संविधान की कौन सी धाराएँ अस्पष्ट हैं? मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि संविधान में दो प्रकार की धाराएँ होती हैं–1. प्रकियात्मक 2. नीति संबंधी। संविधान में नीति संबंधी ऐसी एक भी धारा नहीं है जो द्विअर्थी न हो तथा जिसके साफ–साफ अर्थ सामान्य लोग समझ जावें। ऐसी हर धारा का निम्न न्यायालय कुछ भिन्न अर्थ निकालता है तो उच्च न्यायालय कुछ भिन्न अर्थ निकालकर उसे बदल देता है। उच्च न्यायालय के अर्थ को भी कई बार सर्वोच्च न्यायालय बदल देता है तथा सर्वोच्च न्यायालय के अर्थ को भी कई बार फुल बेंच बदल देती है। जब संविधान की धाराओं के अर्थ न्यायालय ही आसानी से नहीं समझ पाता तो सामान्य व्यक्ति क्या समझेगा। सामान्य व्यक्ति तो सिर्फ यही समझता है कि सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी कोई और न्यायालय होता तो सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या को गलत सिद्ध कर सकता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी व्यवस्थाएँ संविधान में लिखे हुए शब्दों की भिन्न–भिन्न व्याख्या मात्र हैं। यह तो संभव है कि किसी संविधान की एक दो प्रतिशत धाराओं के अर्थ पर विवाद हो, किन्तु किसी संविधान की नीति संबंधी शत–प्रतिशत धाराओं पर विवाद हो तो हम संविधान को गलत कहें या संविधान बनाने वालों को।

संविधान में मूल अधिकार भी लिखे गये हैं तथा संवैधानिक अधिकार भी। संविधान के अनुसार संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती हैं तथा संवैधानिक अधिकारों में भी। मैं आज तक नहीं समझ सका कि संविधान में मूल अधिकार अलग से लिखने की क्या जरुरत पड़ी, जब संसद दोनो को ही जब चाहे तब मनमाना संशोधित कर सकती हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, उम्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। इसी धारा में यह भी लिख दिया कि किन्तु महिलाओं, अल्पसंख्यकों, बच्चो, गरीबों, पिछडों के लिए विशेष कानून बनाये जा सकते हैं। यदि जनसंख्या के आधार पर विभाजन करें तो विशेष कानून की छूट वाले लोगों की संख्या तीन चौथाई से अधिक होगी। जबकि दुनियां का सिद्धांत है कि किन्तु के बाद जो कुछ भी लिखा जाता है वह अपवाद स्वरुप ही होता हैं।

भारतीय संविधान में न्यायपालिका तथा संसद के अधिकारों की व्याख्या बिल्कुल अस्पष्ट है। यदि स्पष्ट व्याख्या होती तो कॉलेजियम सिस्टम क्यों लागू होता? जनहित याचिकाएँ न्यायालय कैसे स्वीकार करता ? केशवानंद भारती प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के तेरह जजों में से छः द्वारा संविधान की किसी धारा की अलग व्याख्या तथा सात जजों की उससे ठीक विपरीत व्याख्या भारत की जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय संविधान बिल्कुल ही अस्पष्ट है। जिसे सुप्रीमकोर्ट तक के न्यायाधीश स्पष्ट समझने में असफल है।

भारतीय संविधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी अपराधी को कभी भी क्षमा दान दे सकता है। प्रश्न उठता है कि सुप्रीमकोर्ट ने राष्ट्रपति के इस अधिकार पर विचार करने का अधिकार कैसे प्राप्त किया? इसी तरह जब न्यायपालिका को सभी प्रकार के कानूनों की समीक्षा करके उन्हें संविधान सम्मत होने न होने का परीक्षण करने का अधिकार है, तो 1950 में पंडित नेहरु ने नवी अनुसूची किस अधिकार के अन्तर्गत बना दी, जिस अनुसूची में डाले गये कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिये गये। मुझे जहॉ तक जानकारी है उसके अनुसार न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाये गये कानूनों की समीक्षा करके उन्हें गलत या सही घोषित कर सकती है, किन्तु न्यायालय को किसी कानून में स्वतः संशोधन का अधिकार नहीं है। न्यायालय जब चाहे जिस सीमा जक चाहे उस सीमा तक कानून बनाने और लागू कराने तक की भूमिका निभा रहा है।

कहा जाता है कि भारत के कानून और संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग के समान होते है। आज वकालत पढ़ने और वकालत का व्यवसाय करने वालों की भीड़ यह बताती है कि कानून और संविधान बिल्कुल ही अस्पष्ट है । इन्हें कोई भी किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। यह वास्तव में बहुत ही घातक सोच है।

मैं स्पष्ट हूँ कि भारत का संविधान जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पर कार्य करता है। जब तक टी0 एन0 शेसन के हाथ में लाठी रही तब तक चुनाव आयोग के हर मनमाने निर्णय संविधान सम्मत घोषित होते रहे।

इसी तरह जब तक पं0 नेहरु या इंदिरा गॉधी के हाथ में लाठी रही तब तक उनके सारे निर्णय संविधान सम्मत घोषित होते रहे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब लाठी न्यायपालिका के हाथ में आ गई तो मनमोहन सिंह के सही निर्णय भी न्यायपालिका द्वारा असंवैधानिक घोषित करने का प्रचलन शुरु हो गया। अब नरेन्द्र मोदी और न्यायपालिका के बीच इस बात की रस्सा कसी चल रही है कि लाठी किसके हाथ में रहेगी। सच बात तो यह है कि लोक को तंत्र की संविधान सम्मत लाठी से मार खाने को हमेशा तैयार रहना ही भारत का लोकतंत्र है। यह अवश्य है कि लाठी की छीनाझपटी का टकराव लोक को कुछ तमाशा देखने का अवसर प्रदान करते रहता है। यही भारतीय लोकतंत्र में समाज की नियति बन गई है। क्या इसका समाधान यह नहीं हो सकता कि भारतीय लोक तंत्र से यह लाठी संवैधानिक तरीके से छीनकर किसी एक नई इकाई को दे दें जो संविधान संशोधन तक सीमित हो किन्तु किसी भी रुप में तंत्र का भाग न हो। मैं तो इसी दिशा को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ।

2. सतीश कुमार राणा, जिला भोजपुर, बिहार ज्ञानतत्व 602091

प्रश्न– आपको अपने लिखे कुछ लेख भेज रहा हूँ। आप इन लेखों की समीक्षा करने की कृपा करें।

उत्तर:–आपने करीब 15 लेख भेजे हैं। सबको मैंने पढ़ा सब में दो बाते शामिल थीं 1. वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुराइयॉ 2. नक्सलवाद की प्रशंसा। आपने शिक्षा व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सहित हर व्यवस्था की आलोचना की है किन्तु किसी भी लेख में कोई समाधान नहीं लिखा, बल्कि नक्सलवाद की प्रशंसा मात्र करके लेख समाप्त कर दिया। मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि 15 वर्ष पहले जब तक मैंने नक्सलवाद को निकट से नहीं देखा था तथा केवल चर्चा में सुनता था तब तक मैं नक्सलवाद का बहुत बड़ा प्रशंसक था। सन् 2000 में जब नक्सलवाद हमारे जिले में आया और मैंने निकट से देखा तो मैं नक्सलवाद का बड़ा विरोधी बन गया।

मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में अनेक खामियॉ हैं। विचारणीय प्रश्न यह है कि लोकतंत्र की जगह तानाशाही अधिक बुरी व्यवस्था है, या कम बुरी। कल्पना करिये कि नक्सलवाद आया और कोई बुरा व्यक्ति शासक बन गया। वर्तमान समय में तो पॉच वर्ष बाद चुपचाप उसे हटाया भी जा सकता है किन्तु नक्सलवादी व्यवस्था आने के बाद ऐसे बुरे व्यक्ति को पद से हटाने का क्या तरीका आपने सोचा हैं क्या? नक्सलवादी तो आज तक ऐसा कोई तरीका नहीं बता सके। यदि आप कुछ समझते हों तो बताने की कृपा करें। मैं तो वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव करके अधिकतम अधिकार परिवार, गॉव, जिले को दिलाने के लिए प्रयत्नशील हूँ, वह भी पूरी तरह अहिंसक संवैधानिक तरीके से। दूसरी ओर आप सारी शक्ति ऊपर केन्द्रित करने के पक्ष में है और वह भी हिंसक असंवैधानिक तरीके से। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अंधेरे में रहकर बिना सोचे समझे धोखा भी खा सकते हैं और इतना ही नहीं बल्कि हम स्वयं तो धोखा खायेंगे ही साथ ही दूसरों को भी ऐसे लेख लिखकर धोखा खाने के लिए प्रेरित कर रहे है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह व्यवस्था परिवर्तन अभियान ने व्यवस्था परिवर्तन का मार्ग समाज के सामने प्रस्तुत किया है, तथा साथ ही यह भी प्रस्तुत किया है कि परिवर्तित व्यवस्था में संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, विदेश संबंधी व्यवस्था का प्रारुप क्या होगा। उसी तरह आप या नक्सलवादी नई व्यवस्था के संवैधानिक आर्थिक स्वरुप को प्रस्तुत तथा प्रचारित क्यों नहीं करते ।

आपने हर लेख में पूँजीवाद की आलोचना की है किन्तु यह नहीं लिखा कि पूँजीवाद का परिवर्तित स्वरुप सरकारीकरण होगा या कोई अन्य। व्यवस्था परिवर्तन अभियान भी पूँजीवाद को अच्छी व्यवस्था नहीं मानता किन्तु हमारी यह स्पष्ट धारणा है कि सरकारीकरण पूँजीवाद की तुलना में कई गुना अधिक बुरी व्यवस्था है। जिस व्यवस्था के पास सेना, पुलिस, न्याय, संविधान तथा कानून इक्टठे है उसी के पास सारी आर्थिक शक्ति भी केन्द्रीत करना बहुत घातक कदम होगा। हम पूँजीवाद की जगह सरकारीकरण को किसी भी स्थिति में लाने के पूरी तरह विरुद्ध है। साथ ही हमारा यह भी मानना है कि पूँजीवाद की जगह समाजीकरण आना चाहिए अर्थात् परिवार, गांव, जिला अपनी–अपनी सीमा में आपस में मिल बैठकर आर्थिक व्यवस्था का भी स्वयं संचालन करे, किन्तु किसी भी परिस्थिति में सारा अधिकार केन्द्र को न मिले। आपने शिक्षा व्यवस्था के भी सरकारीकरण का पक्ष लिया है। मैं शिक्षा व्यवस्था को भी पूरी तरह शासन मुक्त देखने का पक्षधर हूँ। आपने धर्म के मामले में भी सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन किया है। जबकि हम लोग धर्म के मामले में भी पूरी तरह शासन मुक्त व्यवस्था के पक्षधर है।

मेरी इच्छा है कि आप वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमजोरीयॉ बताने की अपेक्षा वैकल्पिक व्यवस्था के प्रारुप पर यदि कुछ लिख सके तो मुझे समीक्षा करने में बहुत सुविधा होगी।

प्रश्नः— आपने सम्प्रदायिक मुसलमानों तथा साम्प्रदायिक हिन्दुओं को एक श्रेणी में रखा है। क्या आप सलाह दे रहे है कि संघ या हिन्दू महासभा को अपना काम बंद कर देना चाहिए अथवा क्या हम जैसे संघ समथर्को को संघ का साथ छोड देना चाहिए?

उत्तरः— कोई भी निर्णय परिस्थिति अनुसार होता है, किसी निश्चित सिद्धांत के अनुसार नहीं। यदि कहीं आग लगी है और आग से हमारे भी घर को खतरा है तो हमें देखना पडता है कि आग को बुझाना उचित है अथवा अपने घर को सुरक्षित करना। इसी तरह यदि मुस्लिम साम्प्रदायिकता सामान्य स्तर तक है तथा रोकना हमारे बस की बात नहीं है तब हम संघ परिवार को रुकने की सलाह नहीं देंगे। इसका एक मापदण्ड बनाया जा सकता है कि यदि बहुमत मुसलमान धर्म तक अपने को सीमित कर लें तथा संगठन से दूरी बना लें तो हम सामान्य परिस्थिति मान सकते हैं। प्रश्न मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं का नहीं है बल्कि समस्या तो उनके शुक्रवार को दोपहर मस्जिद में नमाज के नाम पर इकट्ठा होकर गोलबंद होने की है। ये वहॉ नमाज के नाम पर इकट्ठा होते है तथा थोडी देर बाद संगठनात्मक चर्चाओं में शामिल हो जाते हैं। एक टेस्ट और है कि यदि कोई आतंकवादी घटना होती है और बहुमत मुसलमान आंतरिक चर्चा में भी ऐसी घटना का विरोध करना शुरु कर दे तो सामान्य स्थिति कही जा सकती है। यदि हम वर्तमान समय में भारत के मुसलमानों का औसत ऑकलन करें तो लगभग 90–95 प्रतिशत तक मुसलमान संगठन से जुडे हुए मिलेंगे। इसका अर्थ हुआ कि खतरा बहुत ज्यादा गंभीर है और हम ऐसी परिस्थिति में संघ परिवार को अपना काम बंद करने की सलाह नहीं दे सकते।

इसका यह अर्थ नहीं है कि हम 5 प्रतिशत धर्म निरपेक्ष मुसलमानों की विचारधारा को बढाने का प्रयत्न बंद कर दे। वास्तविक समाधान संघ परिवार के अकेले प्रयत्न से नहीं निकल सकता। बल्कि मुसलमानों में वैचारिक बदलाव का प्रयत्न भी साथ–साथ चलते रहना चाहिए। हम इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील हैं। हमें कष्ट होता है जब संघ परिवार हमारे हृदय परिवर्तन के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करके सिद्ध करना चाहता है कि उसका प्रयत्न ही साम्प्रदायिकता का एकमात्र समाधान है। संघ परिवार का प्रयत्न विशेष परिस्थिति में दवा के रुप में तो कारगर हो सकता है किन्तु वह स्थायी नहीं हो सकता । सच्चाई यह है कि स्थाई समाधान तो धर्म निरपेक्षता ही है और यदि धर्म निरपेक्षता की पहल मुसलमानों की ओर से शुरु हो जाये तो यह सर्वश्रेष्ठ समाधान हो सकता है। चाहे कुछ भी हो किन्तु हम तो अपने प्रयत्न जारी रखेंगे ही और हम उम्मीद करेंगे कि कुछ मुसलमान भी इस दिशा में सोचेंगे।

समाचार

1. समाचार है कि केन्द्र सरकार ने अपने एक करोड सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों मे भारी वृद्धि की है। सरकार के कुल बजट पर करीब एक लाख करोड का अतिरिक्त बोझ बढेगा। भारत के सरकारी कर्मचारियों ने इस वेतन वृद्धि को अपर्याप्त बताकर हडताल करने की धमकी दी है।

समीक्षा–सरकारी कर्मचारियों की धमकी महत्वपूर्ण है । भारत की नब्बे प्रतिशत जनता को लूटने मे देश के राजनेताओं, न्यायाधीशो, खिलाडियों, पूंजीपतियों, मीडिया कर्मियों के साथ सरकारी कर्मचारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किन्तु लूट के माल मे जो हिस्सा अन्य वर्गो का है उससे कर्मचारी अपना हिस्सा कम मानकर चल रहे है जबकि योगदान उनका अधिक हैं। दूसरी बात यह भी है कि यदि सरकारी कर्मचारियों का वेतन बहुत ज्यादा बढाया जायेगा तभी तो नेता न्यायाधीश तथा अन्य लोग भी अपना वेतन भत्ता और सुविधा बढाने की मांग कर सकेंगे, अन्यथा उनकी मांग महत्वहीन हो जायेगी। ये सभी वर्ग एक दूसरे के पूरक होते है। किसी एक वर्ग के वेतन के निर्धारण की महत्वपूर्ण भूमिका दूसरे वर्गो की होती है तथा सभी बदल–बदल कर एक दूसरे का वेतन तय करते रहते है। नब्बे प्रतिशत नागरिक की ऐसे वेतन निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती। उनका काम तो सिर्फ बढ़ा हुआ वेतन भत्ता चुपचाप देते रहने तक सीमित है।

दूसरी ओर इनकी एक भूमिका और होती है । यदि किसान के गेंहू, दाल टमाटर या प्याज का कभी मूल्य बढ जावे तो इन सब लुटेरो की जान निकलने लगती है। मीडिया जोर–जोर से चिल्लायेगा, सरकारी कर्मचारी सरकार को विज्ञापन देगा, न्यायपालिका सरकार को विचारर्थ कहेगी और सरकार तुरंत ही ऐसी कार्यवाही करेगी कि बढ़े मूल्य नीचे आ जावे।

पता नहीं कब इन लुटेरों से देश की जनता को मुक्ति मिल पायेगी?

2. समाचार है कि किसी एक राजनैतिक दल की महिला पदाधिकारी ने गर्व करते हुए कहा है कि बंधन रहित शारीरिक संबंध बनाना उसके लिये गर्व की बात है तथा वह ऐसे कार्य की प्रशंसक है।

समीक्षा – कुछ टिप्पणीकारों ने उसके इस कथन की तुलना वैश्या से की किन्तु मैं उससे सहमत नहीं। किसी मजबूरी में ऐसे संबंध बनाना और शौक से ऐसे संबंध बनाने में बहुत अंतर होता है। कोई वैश्या आर्थिक मजबूरी से ऐसे संबंध बनाती है, किसी विधवा की कुछ अलग मजबूरी होती है। कोई महिला अतृप्त रहती हो या संतान की दिक्कत हो तो ऐसी मजबूरी एक भिन्न विषय है। किसी को राजनैतिक पद पाने के लिये ऐसा करना पड़ सकता है। ऐसे सभी मजबूरी मे उठाये गये कदमों की समाज अन्देखी करता है । किन्तु कोई अपनी पब्लीसिटी के उद्देश्य से ऐसे कथन को प्रचारित करती है तो उसकी तुलना वैश्या से करना वैश्यावृत्ति का अपमान है क्योंकि वैश्या वृत्ति एक अनैतिक व्यवसाय है और स्टंट करना कोई व्यवसाय नहीं।

मेरा प्रारंभ से ही यह मानना रहा है कि सेक्स प्रत्येक युक्ति का प्राकृतिक अधिकार है । सहमत सेक्स को अनुशासन से ही रोका जा सकता है, शासन या कानून से नहीं किन्तु मैं इस कार्य को प्रारंभ से ही अनैतिक कार्य मानता हूँ जिससे प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिये। मुझे विश्वास है कि जिस महिला ने ऐसी स्वीकारोक्ति की है उसने ऐसा वास्तव मे किया नहीं होगा क्योंकि यदि वह ऐसा करती तो कहती नहीं। फिर भी मैं उसके कथन की स्वतंत्रता को स्वीकार करता हूँ तथा ऐसे कथन को एक असामाजिक कथन मानकर कथन की निंदा करता हूँ।

3. समाचार है कि छत्तीसगढ के रायगढ जिले की किसी वयस्क महिला ने अपनी पहल पर एक सत्रह वर्षीय बालक से शारीरिक संबंध बनाये । उक्त महिला को अवयस्क बालक से शारीरिक संबंध बनाने के अपराध मे आजीवन कारावास की सजा हुई।

समीक्षाः–मेरे विचार मे उक्त महिला ने सरकार द्वारा घोषित उम्र से कम उम्र के बालक को बहला फुसला कर या लोभ लालच देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिये सहमत किया। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त महिला का यह कृत्य आजीवन कारावास जैसे दंड योग्य है? यदि यह दंड कानून के अनुसार है तो क्या ऐसे कानून उचित है? क्या ऐसे कानून बनाने और ऐसे कानूनो को लागू कराने वालो को सामाजिक अदालत मे दण्डित नहीं होना चाहिये?

सहमत सेक्स प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। उसे अनुशासन की सीमा मे बांधा जा सकता है, शासन की सीमा में नहीं। यदि किसी ने अनुशासन तोड़ा है तो उसे प्रतीकात्मक सजा ही दी जा सकती है दंडात्मक नही। उसने कोई बलात्कार नही किया जिसके लिये उसे कठोर दंड होना चाहिये।

मेरी इच्छा है कि खुले सेक्स की वकालत करने वाली महिला नेता की ऐसे न्याय पर टिप्पणी करनी चाहिये थी जो अब तक नही आई है। समाज को महिला और पुरुष के बीच बांटकर अपनी दुकानदारी चलाने वाले महिला–पुरुष को यह बात समझनी चाहिये कि वर्ग विद्वेष एक दुधारी तलवार है जो प्रारंभ में भले ही किसी एक वर्ग को प्रसंन्न करती हो किन्तु उसका अंत दुखदायी होता है।

आदरणीय बजरंग लाल जी
सादर प्रणाम

जब धन और उससे चलने वाली वर्तमान राजनीति ही निर्णायक भूमिका मे प्रतिष्ठित होकर प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से समाज पर नियंत्रण करती है बल्कि अपने पंजो मे जकड लेती है, उस समय स्थिति बडी विकट हो जाती है । ये दोनो समाज सेवा के नाम पर राजनीति और अनुचित तरीके से कमाये धन अपने अत्यंत निम्न स्तर पर पहुंच जाते है। इसलिये कभी–कभी लगने लगता है कि जिस प्रकार भ्रष्टाचार को कैसर से तुलना करने का जुमला प्रचलित हो गया है उसी प्रकार इस व्यवस्था में सुधार की संभावना समाप्त प्रायः होने के संकेत देने लगी है। व्यवस्था परिवर्तन तो और आगे का कठिन कदम है। फिर भी हजारों वर्षो से स्वीकार्य शास्त्रों और ग्रंथों के संदेश के आधार पर हम विनत भाव से आशावादी जीवन जी रहे है। अभी भी यथा स्थिति स्वीकार करने में मानो हमने अपनी मौन स्वीकृति दे रखी है और यही है उपर बताई गयी स्थिति के निर्मित होने का महत्वपूर्ण कारण।

कोढ मे खाज तो तब लगने लगी जब राजनैतिक दल जो प्रजातंत्र के प्रहरी के रूप मे स्थापित किये गये थे और समाज की बेहतरी के लिये ही अंग्रेजी को जमाने से एच ओ हयूम जैसे नेक इन्सान द्वारा ब्रिटिश शासन के मुक्ति पाने की प्रेरणा और भावना फैलाकर एक भारतीय राजनैतिक समूह को तैयार करने का अहम रोल अदा किया था। आज वे सभी राजनैजिक दलो की विचारधारा और कियाकलाप इस कहावत तक के चरितार्थ करने मे लग गये है कि तुमने हमारी थाली मे मांस खाया था तो हम तुम्हारी थाली मे विष्टा खायेगे।

क्वात्रचि एंडरसन ललित मोदी या विजय माल्या और फेरहिस्त काफी बडी जिन्होने लूट के मामले मे अंग्रेजो को भी पीछे छोडने का निश्चय कर लिया है मानो अब सभी सरकारे हमाम में नंगी ही नजर आती है। छत्तीसगढ का गरीबो का चावल बड़ो के भरे पेट में अर्जीण की हद तक पहुंच गया और मध्य प्रदेश के व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने शिक्षा के क्षेत्र की अनेक प्रतिभाओं का बंडल ही बंधवा दिया। हम और आप व्याकुल होते है और परम पिता से शिकायत करते है कि भगवान हमे समझने और सोचने का थोडा सा वक्त क्यो दे दिया, जिससे हमारी संवेदनाये जागृत या उत्तेजित हो जाये और अनचाहे ही हमारी आंखो से दो चार बूंद मोती धरती माता को शीतलता प्रदान करने के लिये गिर पडे। प्रभु हमसे भले तो वेमूरख जिन्हे न ब्यापे जगत विधि। नेता की फोटो हमने पिछले 50 व□र्षो में नकली मुस्कान लिये ही देखी है चाहे किसी शहर मे बम विस्फोट हो या कि गैस रिसाव या नव धनाढय की बी एम डब्लू उन्ही के कारण बने किसी गरीब के एकलौते और परिवार को भोजन का जुगाड करने वाले को कुचलकर बार मे अपने मित्रो के साथ एन्जाय करता हो।

इसी पैराग्राफ की पहली पंक्ति में ही हमने जो लिखा वह उस स्वप्न सुन्दरी के संदर्भ में सटीक होगा कि कार से किसी को टक्कर लग जाये तो क्यो मर्ही उसे अस्पताल तक पहुचायेंगे या साथ जायेगे अथवा मथुरा की जनता हमें वोट क्या जवाहर बाग में पापियों के हाथ मारे गये दो बड़े पद के होनहार अधिकारी और उसके साथियों की हत्या पर सान्तवना देने के लिये चुना है। संघ को समर्पित और सर्वस्व जीवन अर्पण करने वाले प्रधान मंत्री की टीम के लोग तथा कथित अच्छे दिन दिखाने वाले अपना पूरा समय भूखमरी बेरोजगारी भ्रष्टाचार और नारी अन्याय को छोडकर यदि अपना समय धर्म और सम्प्रदाय की रक्षा मे शहादत देने मे लगाने लगे तो पक्का है अब हमे उस परम पिता की आस्था निष्ठा और विश्वास की उतनी आवश्यकता नही है। जितनी इन महानुभावो के द्वारा प्रदान की जाने वाली रक्षा की होगी। लोगो की जान का मालिक वह है जो सबका मालिक एक ही है और धर्म उसी ने शुरू किया सिखाया परन्तु अब हमारे बीच के लोग इसके ठेकेदार बनने मे तत्पर है। चाहे वह कोई भी हो अब तो 8–10 बंदूकधारी भी किसी कल तक के अदना आदमी की जान के मालिक बन गये है प्रभु सत्ता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली क्योंकि वह देश दुनियां का बेशकीमती मनुष्य है और उसके जाने से दुनियां की व्यवस्था मे व्यवधान आ जावेगा ऐसा बताने लगे है। शर्म के बदले खूब गर्व करते है परमात्मा को एक डिग्री नीचे उतारकर । कहते जरूर है कि जिसे भगवान नहीं बचाना चाहते उसे कोई और कैसे बचा सकता है।

हमारी याददाश्त मे तो ऋषियों और महापुरूषों के बहुत नाम है परन्तु महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और पं0 श्री राम शर्मा आचार्य के अभी ताजे उदाहरण है जिनका परमात्मा के सिवाय कोई और नही था। कुछ मायनो मे जिन्हे हम दकियानूस और आउट आफ डेट कहते है उनकी बाते कभी क्षणिक सुख की अनुभूति भी कराती है कि अपने ही भाइयो के हाथों की अपेक्षा विदेशी गोरे लोगों पिटना कम ही दर्द देता था परन्तु शर्म तो न लगती।

आपका ज्ञान तत्व काफी दिनों से नियमित प्राप्त हो रहा है । बहुत–बहुत धन्यवाद। आपको शारीरिक दीर्घ अवधि प्राप्त करने हेतु भगवान से प्रार्थना करते है कि इस अलख को जलाये रखने के लिये और अधिक ईंधन डालने वाले लोग मिलें तो सिद्ध होगा कि अन्य वस्तुए नश्वर है लेकिन विचार कभी मरता नहीं है। सदैव रहता है और विचार धारा प्रवाह कम या ज्यादा हो सकता है परन्तु सूखता नहीं है।

छत्तीसगढ कम ही गया हूँ और वह भी रायपुर विलासपुर या धमतरी। मनेन्द्रगढ की अग्रवाल धर्मशाला मे 35 साल पहले एक विवाहोत्सव के कारण रूकना हुआ। धमतरी में हमारे सगे चचरे भाई नौकरी के बाद बस गये। बिलासपुर 60 साल बाद पिछले साल गया था हमारे समधी के यहां शादी विवाह की मध्यस्थला करने। रायपुर तो तब देखा था और अब। अम्बिकापुर के बारे में 1960 के बाद लगातार सुनता रहता था क्योंकि हमारे यहां के इंजीनियर्स ने वहां नौकरी में अच्छा पैसा बनाया। सुना था कि लोग इतने भोले कि किसी स्त्री को घर मे काम के लिये रख लो और परिवार चूंकि वहा रखते नहीं थे। सो उससे ही काम चला लेते थे। खैर अब तो वह किंवदन्ती हो गई और भूलने में ज्यादा अच्छा लगता है। बस्तर के कलेक्टर और अत्यंत सुधारवादी प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले डा0 ब्रम्हप्रकाश शर्मा ने अवश्य कुछ पीडित महिलाओं को पीडा रूपी सुख देने वालो के गले मे घंटी के रूप मे बांध दिया अधिंकाश ने बाद मे उस पटटे का उतार फेका लेकिन अच्छा लगा उस समय जानकर। बस्तर के सहृदय मुसलमीन भाई गुलशन शानी की कहांनियों से काफी कुछ वहां के बारे मे मानसिक चित्रण करने मे सहायता मिलती रही। हम साहित्य और कहानी मे रूचि रखते है। इसलिये भोलेपन के संदर्भ मे वहां की अच्छी कहानीकार मेहरून्निसा परवेज ने एक बार के संस्मरण मे उल्लेख किया था। कि उनके यहां काम करने वाली बाई केवल नीचे का भाग ही ढककर रखती थी। एक दिन कही दूर से भद्र सज्जन का परिवार उनके यहां मेहमानी को पहुँचा उन्होंने बाई को एक ब्लाउज देते हुए कहा इसे पहनकर नास्ता ले आओ । वे डाईग रूम मे आकर बैठ गई मेहमान के साथ। काफी देर तक वह नाश्ता लेकर नही आई तो उन्होने भीतर जाकर पूछा कि क्यो देर कर रही हो– कितना भोला और मर्मस्पशी उत्तर था उस नवयौवन नौकरानी का कि मेम साहब आपने जो कपड़ा हमें दिया है वह पहनकर दूसरो के सामने जाने मे शर्म लगती है।

अब हमारे समधी श्री राजेन्द्र प्रसाद असाटी एस.डी.ओ. वही अम्बिकापुर में पदस्थ है। कुछ और असाटी समाज के लोग भी रह रहे है। अम्बिकापुर की छवि छाप और नाम हम कभी नहीं बिसर सकते क्योंकि वहां के ऐसे एक विरल होशयार व्यक्ति ईमानदारी का जीवंत स्वरूप हमारे अभिन्न मित्र और दमोह में हम उनके अन्नय सहयोगी श्री अयोध्या प्रसाद ए0 प्रसाद दुर्ग नगर पालिका के सी.एम.ओ से प्रशासक बनकर दमोह आये थे। श्याम प्रसाद तिवारी स्थानीय शासन मंत्री महोदय ने उन्हे विशेष रूप से भेजा था। उन्होने दमोह नगरपालिका के प्रशासक के रूप में विलक्षण विकास का कार्य 1970 के आसपास 4 वर्षो में किया । उनके पिता का नाम चेलाराम था और देवीगंज रोड पर रहते थे। जाति के ढीमर थे लेकिन इतने बुद्धिमान कि जितनी तारीफ की जाये कम है । उनका लड़का अरूण डॉक्टर बन गया है और लड़की अरूणा भी थी। उनका एक भाई विद्युत विभाग में इंजीनियर था। अब तो 4 दशक से ज्यादा हो गये लेकिन उनके लिये हमारा आदर भाव यथावत है। उनसे यहां मित्रता भी नो प्राफिट नो लास के आधार पर थी।
डॉ प्रणव पंडया का उल्लेख किया। संक्षिप्त और सार रूप में हम अपने शब्दो में यही कहेंगे कि छोटी सी लाइन के नीचे राज्य सभा का आफर ठुकरा कर एक बडी लाइन खींच दी और अपने गुरू का असीम और आनंद आर्शीवाद पा लिया। इस क्षेत्र में काम कर रहे साधू, संतो और महन्तो को आइना दिखा दिया जो इसके लिये अपनी लार टपकाये रहते है। सफेद, भगवा गेरूआ या भगवा। हम 25 साल से गायत्री परिजन के रूप में है जितना जानना चाहिये गुरूदेव की कृपा से उससे ज्यादा उन्होंने देने की असीम अनुकंपा की चुकाना संभव नही है।

सेवा निवृत्ति 1990 में स्वेच्छा से ले ली थी उसके बाद यही काम करते है औ देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में भी डिप्टी रजिस्ट्रार का काम कर आये। परिवार भी अपनी दाल रोटी कमा रहा है ओर गुरूदेव की कृपा से सब खूब अच्छा है। जो पात्रता है उससे ज्यादा है। पत्नी भी 12 वर्ष पूर्व सरकारी नौकरी से रिटायर होकर हम सब परिवार के साथ रहती है।

वोटो की राजनीति और धन के टानिक के कारण जो वर्तमान व्यवस्था बन गई है उस परिवर्तन की बात करते–करते बाबा रामदेव स्वयं परिवर्तित हो गये। श्री श्री पर भी नरेन्द्र भाई का ऐसा रंग चढा कि सेना को गुरू सेवा मे लगाकर सारे नियम कायदो को धता बता दिया। पूरे हिन्दुस्तान में कहते फिरे खाते जल्दी खुलवाओ नहीं 15 लाख से हाथ धो बैठोगे हे तो गुरू परन्तु चेला जैसी हेकडी दिखाने मे भी नही चूके और कहा जेल चला आउंगा लेकिन एन जी ओ के 5 करोड जुर्माना नही भरूगा। सोचा था सैया भये कोतवाल अब डर काहे का । लेकिन भर दिये क्योकि आध्यात्म और धर्म की दुकान चलाते के लिये हर वह कार्य करना पडता है जिसका मन न भी हो। किसी ने कहा था कि जब तक मूर्ख है तब तक धूर्त बल्ले बल्ले । बाबा राम रहीम अभी हाल के निरंकारी संत हरदेव जी जय गुरूदेव बाबा रामपाल या स्वामी नित्यानंद या कि बाबा परमानंद । हमारा बताना तो एकदम राई के बराबर होगा। इलेक्ट्रानिक मीडिया इससे ज्यादा बता सकता है और बताता है अपनी सहूलियत और समय को जांच परख कर।

हमने जो समझा उस अनुसार आप प्रजातांत्रिक मूल्यो की स्थापना ग्राम स्वराज्य और निष्पक्ष और प्रभावशाली हथियार के रूप में प्रतिनिधि संसद में भेजकर भगवान को कैद से निकालना चाहते है। पूरे समाज का हित इसी मे है और इसके अतिरिक्त कोई विकल्प ही नही है। इसके लिये कोई योजना कार्य प्रणाली अथवा ब्लू पिंट तो तैयार करना ही पडेगा सबको जोडने और सहयोग लेने के लिये भले ही उपरी तौर पर कार्यशैली मे साम्यता कम या ज्यादा हो फिर भी व्यापक आौर मुख्य लक्ष्य को केन्द्र मे रखकर और जन जन को जागरूक बनाना ही एक मेव उपाय है ओर यही सफल भी होगा। इतिहास साक्षी हे।

कल अपने पोते प्रांजल को अंग्रेजी माध्यम की किताब मे समझा रहा था । विषय था चिली मे अलिंदे की लोकप्रिय सरकार को सेना ने विद्रोह कर हटा दिया था और सबकुछ बुरा हुआ था लेकिन उनकी पत्नि और बेटी ने 17 वर्षो तक लगातार जनता को जागृत कर संगठित कर प्रतातंत्र की बहाली की। गांधी जी बिनोबा विवेकानंद जय प्रकाश नारायण और अब केजरीवाल, योगेन्द्र यादव और शान्ति प्रशांत भूषण ने भी तो वही जागरूकता का काम किया । वार खाली नही गया।

ज्ञान तत्व के बारे मे अलग से चर्चा करेगे प्रारंभिक तौर पर इतना ही। पं0 श्री राम शर्मा आचार्य ने यही किया धर्म के क्षेत्र मे काम करने के लिये इतना बडा आध्यामिक संगठन गायत्री परिवार खडा किया इसलिये आशा बंधती है कर्म हमारे हाथ समय और परिणाम उसके हाथ है यह तो मानना ही पडेगा। कभी आपके साथ बैठे उठे आपके यहां रहे प्रोफेसर डॉ श्यामसुंदर दुबे रिटायर्ड प्राचार्य पी जी काले हमारे अच्छे मित्रो और शुभेच्छु है समय–समय पर मार्ग दर्शन देते और उत्साहित कर नई ऊर्जा भरते रहते है।

रामवीर श्रेष्ठ, लोक सभा टी वी चैनल दिल्ली
समान नागरिक संहिताए जैसी मैने समझी

जब देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तब देश की तस्वीर कैसी होगी, मैंने जितना समझा उसके मुताबिक देश में एससी, एसटी, ओबीसी के भेद खत्म होकर सब समान हो जाऐंगे। इतना ही नहीं तब आरक्षण पर किसी का अधिकार नहीं बचेगा। सरकार चाहे तो गरीबी का कोई पारदर्शी मानक बनाकर गरीब लोगों को मदद कर सकती है। दूसरी बात मेरे विचार से समान नागरिक संहिता और समान आचार संहिता दोनों अलग–अलग होती हैं। समान आचार संहिता का मतलब लोगों के आचरण से होता है। जबकि नागरिक संहिता का मतलब नागरिकों के उन अधिकारों से होता है जिन्हें संविधान देता है।

इसे थोड़ा और विस्तार दें। मसलन जब देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी तब सरकार समाज में अपनी ओर से वो जाति, प्रांत, भाषा, उम्र, महिला, पुरुष, उत्पादक और उपभोक्ता या किसान मजदूर किसी के लिए अगल से नियम कानून नहीं बना सकेगी। मसलन सरकार किसी एक भाषा को आगे बढ़ाकर बाकी भाषाओं के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। देश के किसी एक प्रांत को कोई खास रियायत नहीं दी जा सकेगी। उम्र के आधार पर किसी को कोई रियायत नहीं दी जा सकेगी। महिलाओं को मिले सारे विशेषाधिकार वापस हो जाऐंगे।

वहीं समान आचार संहिता का मतलब मुसलमानों की चार शादियों पर रोक नहीं होगा। बल्कि हिंदुओं को भी एक से ज्यादा शादियां करने की छूट मिल जाएगी। तब किसी धमेंद्र या हेमामालिनी को महज शादी करने के लिए मुसलमान नहीं बनना पड़ेगा। क्योंकि समाज के उस आचरण को तब तक अपराध नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना होता हो।

सवाल उठता है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले उस सीमा रेखा का पता लगाया जाना चाहिए जो समान आचार संहिता और नागरिक संहिता के बीच की सीमा तय करती हो। शब्दों में उन सीमाओं को कई तरह से कहा जा सकता है। आचार्य पंकज की मानें तो आचार संहिता व्यक्तिगत होती है। जबकि नागरिक संहिता समूहगत। वहीं मौलिक चिंतक बजरंग मुनि कहते हैं कि स्वतंत्रता और मनमानी के बीच बहुमत से खींची गई सीमा रेखा को समान नागरिक संहिता कहा जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक मानक बिंदू के नीचे व्यक्ति को व्यक्तिगत आचरण के लिए पूरी छूट दी जानी चाहिए, और उसके उपर सब पर समान कानून लागू होने चाहिऐं। इसे और सरलता से समझने के लिए हम गाय गंगा और पेड़ पौधों की सुरक्षा का आधार ले सकते हैं। पहले सवाल उठता है कि गोमांस ना खाने का आधार क्या हो, क्या सिर्फ ये कि वो हिंदुओं के लिए पूजा है, या फिर इसलिए कि गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर आदि की उपयोगिता ज्यादा है। अब उपयोगिता कि आधार को तय करने के लिए सिर्फ बहुमत के बजाय करीब–करीब सर्वमत बनाने की जरूरत होती है। क्योंकि ये कोई सरकार का बनाना गिराना भर नहीं है। इससे व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है इसलिए देश के अधिकतम लोगों को विश्वास में लेकर जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं। उसे आधार मानकर गोहत्या पर पूर्ण पाबंदी लगाई जा सकती है। इसमें भी तय करना पड़ेगा कि भई सिर्फ भारतीय गायों के लिए ये कानून बनाना है या विदेशी और नीलगायों को भी उनके साथ गाय शब्द लगे होने का लाभ दिया जाए। अब सवाल उठता है कि अगर कोई फिर भी गोमांस खाता है तब क्या हो। क्या उसे फांसी दे देनी चाहिए या फिर उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी जाए। समझदारी से काम लें तो ऐसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि मामला तो उसके आचरण का है। सवाल उठता है कि फिर क्या हो। जवाब है, ऐसे आदमी की सुरक्षा करने के कर्तव्य को समाज क्यों ना वापस ले लें, या फिर सरकार उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी से पल्ला क्यों ना झाड़ ले। ऐसे में अगर उसे फिर भी गोमांस खाना है तो फिर अपने दम पर खाना होगा। किसकी आस्था तलवार में तब्दील हो जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता।

गंगा पर नागरिक संहिता

इसी तरह गंगा में कचरा डालने से आप अगर मुसलमानों को, नगर पालिका या नगर निगम को रोकेंगे, तो उस हर व्यक्ति को रोकना होगा जिसके चलते गंगा या किसी भी नदी में प्रदूषण हो, फिर नदियों में दुर्गा या गणपति विर्सजन कैसे हो सकता है। अगर नदियों की उपयोगिता पर सर्व समाज एक हो जाए तो इसकी छूट किसी को नहीं दी जा सकती कि प्लास्ट ऑफ पेरिस और कैमिकल रसायनों से बनी प्रतिमाओं का विर्सजन हो। हां मिट्टी, गेरूआ और खडिया से बनी प्रतिमाओं के विर्सजन पर आस्था के लिए समाज अगर विचार करे तो कर सकता है।

पेडों पर नागरिक संहिता

यूं तो मौलिक अधिकार सिर्फ मनुष्यों को हासिल हैं। जीवन जीने की अधिकार को छोड़कर जीव या पेड़ पौधों के लिए संपति, अभिव्यक्ति, स्वनिर्णय के मौलिक अधिकार कोई महत्व नहीं रखते, लेकिन हां जीवन उनमें भी है। उनकी जान लेने पर कष्ट उन्हें भी होता है। उनकी भावनाओं को समझकर उनके जीने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देना एक आदर्श और संवेदनशील समाज का लक्षण हो सकता है। जाहिर है हमने पेड़ों की जीने के अधिकार का हनन किया तो आज प्रदूषण की समस्या सामने खड़ी हो गई। वरना एक वो भी दिन था जब जंगलों को जलाकर खेती करने यानि झूम की खेती करने पर भी हमें कभी एतराज नहीं था। आज जीवन को बचाने के लिए जंगलों को बचाना जरूरी हो गया है। ऐसे में अगर समाज और सिस्टम मिलकर 1 पेड़ काटने पर 10 पेड़ लगाने की शर्त तय करने का साथ ही कुछ हर्जाना भी तय करता है, तो अपना पेड़ होने के बाद भी वो देना होगा। जबकि वो संपति के तौर पर उसका मौलिक अधिकार है।

बच्चे पैदा करने पर संहिता

किसी मां बाप के पास कितने बच्चे हों ये उनके स्वनिर्णय का मौलिक मामला है। जिसमें दखल नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर देश में आबादी बेकाबू होने का खतरा हो। ऐसे में समाज और सरकार अगर तय करते हैं कि 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करना सही नहीं है तब भी वो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने से किसी को रोक नहीं सकता। वो सिर्फ उन सुविधाओं में कटौती कर सकते हैं। जो उस परिवार को दी जा रही होती हैं। मसलन तीसरे बच्चे पर पिता को मिलने वाली सुविधाए चौथे बच्चे पर मां को मिलने वाली सुविधा समाप्त की जा सकती है, और पांचवें बच्चे पर पूरे परिवार की सुविधाओं को समाप्त किया जा सकता है।

और आखिर में शादी

शादी 1 महिला और 1 पुरुष के बीच सहमति से बना संबंध है। क्योंकि सहमति दो लोगों के अपने बारे में अपने लिए फैसले का नतीजा है। देश के कुछ हिस्सों में अभी भी 1 महिला कई पुरुषों से शादी करती है। खासकर मुसलमानों में 1 पुरुष को 4 शादियां करने की छूट हासिल है, सवाल उठता है कि बेचारे हिंदुओं पर ही ये मार क्यो। वैसे भी 1 पत्नी के रहते उसे बताए बगैर किसी दूसरी महिला से संबंध बनाना धोखेबाजी माना जाएगा। लेकिन वो अगर एक ही घर में रहने के लिए सहमत हों तो इसमें सरकार समेत किसी का भी दखल स्वनिर्णय के मौलिक अधिकार की मुखालफत माना जाएगा। हमने सुना है कि द्रोपदी को बिना बताए अर्जुन ने सुभद्रा को अपनी पत्नी तो बना लिया। लेकिन द्रोपदी की सहमति ना मिलने का डर बराबर था। इसलिए कृष्ण ने अपनी बहन को द्रोपदी को सहमत करने का तरीका बताया। इसी सहमति से श्रीकृष्ण ने 16 हजार 8 महिलाओं को अपनी पत्नी बनाया। मेरा मतलब साफ है कि हिंदुओं को मुसलमानों की 4 शादियों में छूट के बजाये, हिंदू कोड बिल में संशोधन करने की मांग करनी चाहिए ताकि यहां भी घुटन कम हो सके।

उत्तरार्ध

पिछले वर्ष नोएडा बैठक मे तय हुआ था कि अक्टूबर 2016 मे पुनः पूरे देश भर के प्रमुख कार्यकर्ताओ का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, किन्तु अप्रेल मे वृन्दावन मे हुई बैठक मे यह सोचा गया कि देश भर के कार्यकर्ताओ का एक कार्यक्रम रखने की अपेक्षा पूरे देश के भिन्न भिन्न स्थानो पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना अधिक सुविधाजनक तथा परिणाम दायक होगा। तदानुसार तेरह अक्टूबर से चौबिस दिसम्बर के बीच पैतालिस स्थानो पर मुख्य कार्यक्रम तथा दस स्थानो पर उप बैठक रखी गई है। मुख्य कार्यक्रम मे उस लोक प्रदेश के सभी जिलो के प्रमुख तथा अन्य कार्यकर्ता अन्य चर्चाये तो उप बैठक के समान करेगें ही किन्तु साथ साथ मुख्य कार्यक्रम मे लोक प्रदेश के अंतर्गत आने वाले सभी जिलो के प्रमुख लोग बैठकर नीति निर्धारण समिति, लोक प्रदेश प्रमुख, लोक प्रदेश संरक्षक के नाम का भी चयन करेंगे। उप बैठक के प्रमुख लोग भी मुख्य बैठक मे शामिल होगे। प्रत्येक कार्यक्रम या बैठक मे सभी आमंत्रित शामिल हो सकते है। आमंत्रण की सूचना आयोजक देंगे। तीन महिने के इस प्रवास का पुरा संचालन संगठन सचिव अभ्युदय द्विवेदी जी की देख रेख मे हो रहा है। उनका फोन न0–9302811720 है। दिल्ली कार्यालय टीकाराम देवरानी जी संभाल रहे है। उनका फोन न0–8826290511 है। मुनि जी का फोन न0–9617079344 है। कार्यक्रम स्थल की निश्चित जानकारी आप किसी भी फोन न0 से प्राप्त कर सकते है।

क्रमांक	कार्यक्रम स्थल	आयोजक का नाम	लोक प्रदेश क्रमांक	मोबाइल नम्बर	दिनांक
1	चिरकुंडा धनबाद	श्री कृष्ण लाल रूंगटा	48	9431123154 6540273109	13-10-16
2	बंगाल	श्री आर्य प्रहलाद गिरी	69		14-10-16
3	हावडा	सिसिर दाली	68	9804166747	1510-16
4	सराय केला	जीतेन्द्र शर्मा	उप बैठक	9934517441	16-10-16
5	मयूरभंज	श्री वीरेन महतो	11	7381387402	16-10-16
6	सुन्दरगढ	श्री विनोद भाई	10	9470100099	17-10-16
7	देवघर	श्री विनोद भाई श्री वीरेश वर्मा जी	49	9470100099	18-10-16

8	कटिहार	श्री महेन्द्र जी श्री टी पी जालान	74	9570897137 9386473923	19-10-16
9	पूर्निया	श्री वीरेश कुमार सिंह	73	7004238630	19-10-16
10	सहरसा	श्री घनश्याम गुप्ता		9910437067	20-10-16
11	लखीसराय	श्री मुकेश सिंह	75	9931753309	21-10-16
12	पटना	श्री रत्नेश चौधरी	76	9708093423	22-10-16
13	मुजफ्फर पुर	श्री उमेश भाई	71	8936047634	23-10-16
14	सिवान	री कैलाश पति प्रसाद पुर्व एस ओ	70	9939465214	24-10-16
15	गोरखपुर	श्री उमाशंकर यादव	24	9451473510	25-10-16
16	गाजीपुर	श्री रामचंद्र दुबे	26	9838933180	26-10-16
17	बक्सर	श्री आचार्य धर्मेन्द्र श्री चिंता रहण पांडेय	77	9939476724	26-10-16
18	चोपन	श्री देवेन्द्र शास्त्रि	27	9935178555	27-10-16
	अम्बिकापुर	रेस्ट			
		यात्रा द्वितीय चरण			
क्रमांक	कार्यक्रम स्थल	आयोजक का नाम	लोक प्रदेश क्रमांक	मोबाइल नम्बर	दिनांक
1	अनूपपुर	मुन्नी बाई, आदर्श शर्मा	उप बैठक	9755402110	12/11/2016
2	रीवा/सतना		79		13-11-16
3	इलाहाबाद	हृदेश मिश्र	30	9415583513	14-11-16
4	कौशाम्बी	अरविन्द पाल	28	8860752790	15-11-16
5	कानपुर	ऋषि द्विवेदी	21	8957342930	16-11-16
6	बाराबंकी	डा0 ओम प्रकाश प्रकाश	22	9838093579	17-11-16
7	बरेली	राजनारायण गुप्ता	20	9359496789	18-11-16
8	बदायु	ऋषि पाल यादव, बहादुर सिंह यादव	17	9761458520, 9412564641	19-11-16
9	मेरठ	सुधीर तालियान, ओम प्राल सिंह	16	9058445505 9411826498	20-11-16
10	विजनौर	डा0 प्रकाश	15	9837033451	21-11-16
11	हरिद्वार		उप बैठक		22-11-16
12	ऋषिकेश	डा राजे नेगी जी	14	9837272015	23-11-16
13	पटियाला		62		24-11-16
14	अमृतसर		61		25-11-16
15	बरनाला	उमेश खुर्मी श्री दर्शन सिंह नेहवाल	उप बैठक		26-11-16
16	कैथल	श्री इशम सिंह तवर	97	9416111590	27-11-16
17	गाजियाबाद	संजय ताती, अजय भाई	उप बैठक	9891813517	28-11-16
		यात्रा तृतीय चरण			
क्रमांक	कार्यक्रम स्थल	आयोजक का नाम	लोक प्रदेश क्रमांक	मोबाइल नम्बर	दिनांक
1	पलवल	शिव कुमार शर्मा	98	9560081040	3/12/2016

2	मुरैना	श्री बहादुर सिंह यादव	78		4/12/2016
3	आगरा	बैजनाथ सिंह सिकरवार	19	8979475645	5/12/2016
4	जयपुर	अमरसिंह आर्य	93	9887231540	6/12/2016
5	सीकर	श्री मति संतोष ढाका	उप बैठक	8828229682	7/12/2016
6	जोधपुर	श्री महेन्द्र प्रसाद गेवा	94		8/12/2016
7	राजसमंद	नारेन्द्र सिंह कछवाहा	96	9784293919	9/12/2016
8	भीलवाडा	हरिराम पुनिया	95	9829306979	10/12/2016
9	उज्जैन	कमल सिंह	82	9685830204	11/12/2016
10	इंदौर	राजेन्द्र भारतीय, नयन राठी	उप बैठक	9200329324	12/12/2016
11	भोपाल	अभिषेक अज्ञानी	उप बैठक		13-12-16
12	सागर	जी पी गुप्ता, आर पी मिश्रा	79	9983270703	14-12-16
13	छतरपुर	श्री दुर्गा प्रसाद आर्य	79	9893125987	15-12-16
14	कटनी	अरविन्द गुप्ता	80	9329570031	16-12-16
15	गोंदिया	मधुसूदन अग्रवाल	88	9422131827	17-12-16
16	भानुप्रताप पुर	बैधराज आहुजा	उप बैठक	9197509805	18-12-16
17	दुर्ग	डा शांन्ति लाल कोठारी	उप बैठक		19-12-16
18	रायपुर	लक्ष्मण प्रसाद वर्मा	45	9301346640	20-12-16
19	विलासपुर	श्री पुरूसोत्तम दुबे	उप बैठक	9617688125	21-12-16